


(51)

सा/निग०रीग/भू/२०१७/३७६९

२७६

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा
म०प्र०



Rs. 30/-

चन्द्रशेखर प्रसाद तनय श्री जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम
डेव्ही, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म०प्र०)

आवेदक चन्द्रशेखर
प्रसाद तनय 10-10-17

.....निगरानीकर्ता

बनाम

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. संतेश्वर प्रसाद तिवारी तनय श्री गोपिका प्रसाद तिवारी निवासी
नौदिया, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म०प्र०

2. शासन म०प्र०गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
महोदय तहसील सिरमौर जिला रीवा
प्र०क०२७/अ-६अ/०८-०९ आदेश दिनांक 12.
09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०स०
1950

मान्यवर,

निगरानी ज्ञापन के आधार निम्न है:-

1. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.09.017 विधि प्रक्रिया व नियमों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , ग्राम पथरी की भूमि आराजी नम्बर 289 रकवा..... आवेदक के कब्जे दखल स्वत्व अधिपत्य की भूमि है, इस भूमि के भूमिस्वामी कालम नं.3 मे निगरानीकर्ता / अनावेदक का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिस भूमि के अंश भाग मे गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1/ आवेदक संतेश्वर प्रसाद द्वारा मातहत न्यायालय मे इस आशय का आवेदन पत्र दिया कि खसरा सुधार किया जाकर निगरानीकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर मेरा नाम कब्जा इन्द्राज किया जाय । और गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 के द्वारा

M

चन्द्रशेखर


10/10/17

(51)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक III/निग0/2017/03789

जिला-रीवा

चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी/ संतेश्वर प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवंश प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 27/अ6अ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	